[k.M% 2] vad% 06 tu 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019

अनुक्रमिका

सम्पादकीय		i-ii
1. नई शिक्षा नीति 2019	– मोहिनी मित्तल	1–3
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019: एक अवलोकन	– राम किशोर	4–7
3. नई शिक्षा नीतिः एक नई सोच का अवलोकन	– वर्षा तोमर	8–10
4. भारत और शिक्षाः एक तुलनात्मक विकसित प्रारूप	– रजनी	11–14
5. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः विद्यालयी शिक्षा	– निशा कुमारी	15–17
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा हेतु सुझावों का आलोचनात्मक विश्लेषण	– डिंपल कुमारी	18–21

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के षष्टम अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए हम एक बार पुनः अपार हर्ष हो रहा है। प्रत्येक माह के समसामयिक विषय को केन्द्र से संबद्ध शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा संश्लेषण के रुप में प्रकाशन हमारी एक विशिष्ट अनुभूति एवं सामूहिक उपलब्धि है। शोध निरंतरता की इस कड़ी में संश्लेषण का अब तक का यह ग्यारहवां अंक प्रस्तुत करते हुए हमें अत्याधिक प्रसन्नता का बोध हो रहा है।

वर्ष 2019 का जून माह भारतीय शैक्षिक जगत के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति तथा 1988 में द्वितीय शिक्षा नीति के पश्चात शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जून 2019 में प्रारुप शिक्षा नीति के रुप में भाजपा नेतृत्व द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत हुआ। चार मुख्य भागों में समाहित 484 पृष्ठ की यह रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक तथा व्यावसायिक शिक्षा से तकनीकी शिक्षा तक प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मकता तथा सृजनशीलता पर बल देते हुए उदार, एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा को प्रधानता देती है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जैसी विभिन्न स्वायत संस्थाओं के माध्यम से नव शिक्षा नीति 2019 का यह प्रारुप प्रतिवेदन संघीय एवं राज्य स्तरों पर शिक्षा को बहुमुखी विकास के साथ संबद्ध करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019' विषय पर लेख आमंत्रित किये। छः उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु इस नीति के प्रारुप प्रतिवेदन में अंर्तनिहित वाद–विषयों को भी अन्वेषित करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारतीय शिक्षा जगत से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार

प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के जुलाई माह के अपने सप्तम् समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

रविवार, 14 जुलाई 2019

1

नई शिक्षा नीति 2019

मोहिनी मित्तल

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

31 मई 2019 को–डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति द्वारा नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया। बदलते समय के अनुसार समकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती हुई आवश्यकताओ ंको पूरा किया जा सके। छात्रों को आवश्यक कौशल से युक्त करके विज्ञान, तकनीकी, शिक्षाविद् और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त कर भारत को महाशक्ति बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।1992 में आई शिक्षा नीति के बाद बदलते समय के अनुसार एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमन्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, किंतु पूर्णतः अनुकूलित न होने के कारण इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। 2016 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई समिति गठित की गई। इस समिति में वसुधा कामत, के. जे. अल्पसंख्यक, मंजुल भार्गव, रमा शंकर कुरील, टी. वी. काटमनी, कृष्णमोहन त्रिपाठी, मजहर आसिफ, एम. के. श्रीधर, राजेंद्र प्रताप गुप्ता, शकील शाम्सू प्रमुख सदस्य थे।

इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यालयों की शिक्षा, उच्चशिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षाओं को इसके क्षेत्र में लाया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के क्षेत्र को व्यापक बनाता है। प्राथमिक पूर्व शिक्षा से लेकर 12वी. तक की कक्षा की शिक्षा के लिए लागू करने की सिफारिश की गई है। नर्सरी से 12वी. कक्षा तक की पढाई को 5+3+3+4 के सूत्र के अनुसार 4 चरणों में बांटने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। पहला चरण फाउंडेशन स्टेज है, यह 3–8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। दूसरा चरण कक्षा 3–5 तक 8–11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तीसरा चरण 6–8 तक 11–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और अंतिम चरण कक्षा 9–12 तक 14–18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है।

नई शिक्षा नीति में शिक्षण के बहुविकल्पीय तरीके अपनाने पर बल दिया गया है। शिक्षक–छात्र अनुपात 30:1 रखने का सुझाव दिया गया है। समिति ने स्तरहीन शिक्षण संस्थानों को बंद करने का प्रस्ताव भी रखा है। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव भी समिति ने दिया है, ताकि शिक्षा को समग्र रूप में पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। यह प्राधिकरण विभिन्न विद्यालयों की मान्यता सुनिश्चित करेगा। निजी विद्यालयों के नाम में पब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति में कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल शिक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। इसके अनुसार 10 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु स्कूलों में रेमेडियल कक्षा के लिए 80 मिनट का पीरियड रहेगा। नवोन्मेषी शिक्षण उपायों पर इसको अपनाने पर बल दिया गया है, जिस के तहत भाषा व गणित पर जोर देने, लेखन कौशल को बढ़ावा देने, भाषा–मेला, गणित मेला के आयोजन की बात की गई है। पुस्तकालयों के महत्व को पुनः स्थापित करने पर बल दिया गया है।

नई शिक्षा नीति में आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए नवोदय स्कूलों जैसी व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षण में तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइलफोन के विभिन्न ऐप्स के प्रयोग से शिक्षण को रोचक बनाने का सुझाव दिया गया है, तथा विषय वस्तु के भार को कम करने की बात भी नई शिक्षा नीति में की गई है। नई शिक्षा नीति अभिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा–मंत्रालय रखने की भी सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 3 श्रेणियों में पुनर्गठित करने की बात की गई है। प्रथम श्रेणी में विश्वस्तरीय अनुसंधान व उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द्वितीय श्रेणी में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान के साथ विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तथा तृतीय श्रेणी उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केंद्रित है। इसका संचालन मिशन नालंदा व मिशन तक्षशिला के अंतर्गत किए जाने का सुझाव दिया गया है।

इस नीति में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य भी रखा गया है। इसके अनुसार विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ–साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ–साथ खुले विचारों दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने, शिक्षा के सभी

स्तरों पर तकनीकी के एकीकरण करने के लिए नई नीतिगत पहलों को लागू करने की सिफारिश की गई है। भारतीय व शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा पाली, फारसी व प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों, एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की सिफारिश की गई। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला के अनुसार हिंदी को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, जिसका दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने संशोधित मसौदा जारी कर कहा कि जो विद्यार्थी पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 या कक्षा 7 में ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुभाषा को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता की बात की गई है, जो विद्यार्थियों की मातृभाषा को समझते हों। जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक बतौर शिक्षण माध्यम मातृभाषा के प्रयोग किए जाने का सुझाव दिया गया है।

नई शिक्षा नीति मौलिक व नवीन विचारों पर बल देती है। इसके लागू होने से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिससे भारत क विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार आएगा। अभी तक कोई भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान विश्व के टॉप 100 की रैंकिंग में भी नहीं है। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने से एवं शिक्षा में नवाचार को बढ़ाने से वैज्ञानिक क्षमता का विकास होगा, जिससे नोबेल जैसे विश्वस्तरीय पुरस्कार भारतीयों की झोली में आएंगे। हमारे छात्रों, शिक्षकों वह शैक्षिक संस्थानों में सही दक्षताओं व क्षमताओं के आधार पर आवश्यक बदलाव लाया जाएगा। आर्थिक सामाजिक गुणवत्ता में वृद्धि होने से मानव विकास सूचकांक में भी सुधार होगा। नैतिक व मूल्यपरक शिक्षा से भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर नई शिक्षानीति से एक जीवंत भारत के लिए सक्षम वह सुदृढ़ शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकेगा।

♦♦♦♦♦

2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019: एक अवलोकन

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान हम सभी को न सिर्फ सम्पूर्ण मानव बनाने में सहायक होता है बल्कि एक सभ्य समाज का निर्माण करने और मानव को उसका सही अर्थ बताने में पूरी तरह से सक्षम होता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करती है। यही कारण है कि मानव सभ्यता के आरंभ होने से ही शिक्षा को अधिक से अधिक व्यक्तियों में आत्मसात कराने के लिए कार्य किया गया। इस संदर्भ में भारत प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है तथा शिक्षा के कन्द्र के रूप में जाना जाता रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।

इसमें लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों को हटाने के विकल्प के साथ एम. फिल प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है। मसौदे के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिए अब या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4सूत्र (आयु वर्ग 3–8 वर्ष, 8–11 वर्ष, 11–14 वर्ष और 14–18 वर्ष) तैयार किया गया है। जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।

यह मसौदा धारा 12(1)(सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है। विदित हो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए तीन प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन को योजना भी प्रस्तावित है, जिसके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया जायेगा।

1. इसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
2. इसके तहत अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
3. उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केन्द्रित होगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम दो मिशनों द्वारा संचालित होगा—मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला।

0–6 वर्ष के बच्चों तक उच्च गुणवत्ता वाले ई.सी.सी.ई. (**ECCE & Early Childhood Care and Education**) प्रोग्राम जिनमें बच्चों को भाषा संबंधित गतिविधियाँ करवाई जाती हैं की पहुँच निःशुल्क और सरल बने। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा से संबंधित सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्र में आयेंगे। नई शिक्षा नीति द्वारा ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से दोबारा जोड़ने और सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करवाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार 2030 तक 3–18 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और भागोदारी को सुनिश्चित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का विस्तारित किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2030 तक कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। 2022 तक शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में आमूल–चूल परिवर्तन करना भी एक लक्ष्य है, ताकि रटने के चलन को समाप्त किया जा सके और हुनर एवं कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहुभाषिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सरोकार के साथ ही डिजिटल विकास साक्षरता को समग्र रूप में बढ़ावा दिया जा सके।

मौजूदा शिक्षा नीति उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। उदाहरण के तौर पर उद्योग–व्यापार जगत द्वारा लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि विद्यालयों और महाविद्यालयों से ऐसे युवा नहीं निकल पा रहे हैं जो उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से उपयुक्त हों। माजूदा शिक्षा व्यवस्था की एक कमी यह भी है कि देश में जिस तरह के नैतिक आचार–व्यवहार का परिचय दिया जाना चाहिए उसको यह प्राप्त करने में असफल रही है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान से ज्यादा महत्त्व अच्छे अंकों को दिया जाने लगा है, परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में ज्ञान की जगह अच्छे अंकों को प्राप्त करने की प्रतिस्पधा बढ़ी है। यह भी एक यथार्थ है कि ऐसा अवसर मुट्ठीभर छात्रों को ही मिल पाया है जिसके लिए कहीं न

कहीं मौजूदा व्यवस्था उत्तरदायी है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम होता है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्टोय एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है जिसको एक समान पाठयक्रम अपनाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिणामस्वरूप नई शिक्षा नीति का महत्त्व बढ़ जाता है। समान पाठयक्रम के अलावा नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि शिक्षा केवल डिगो–डिप्लोमा पाने का माध्यम और रोजगार पाने भर तक ही सीमित न रहे बल्कि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने के साथ उनके सोचने–समझने की क्षमता भी बढ़े। नई शिक्षा नीति राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर देता है जिसका अभाव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में देखा गया।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार द्वारा शैक्षणिक ढाँचे को बेहतर बनाने का प्रयास अपने–आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका वर्णन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है–

एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढाँचे के अभाव से संबंधित है। सामान्यतः देखा गया है कि विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर आदि की कमी होती है, नतीजतन इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 'लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस' के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था बदतर स्थिति में है। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिये जो प्रयास किए जाते हैं उसके असफल होने का जोखिम रहता है। दरअसल इसके कारण शिक्षा नीति में परिवर्तन करते समय रोडमैप का अनुसरण नहीं करना व नीतियाँ बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। असर (ASER) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे में भले ही निवेश किया है लेकिन उसे अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली है। नई शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती शिक्षकों की कमी दूर करने की भी है। एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की भी है। उल्लेखनीय है कि टॉप–200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को ही जगह मिल पाती है। प्रारूप में मौजूद त्रिभाषा नीति भी नई शिक्षा नीति के समक्ष चुनौती पेश कर रही है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2019 सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को इंगित करती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझावों को अमल में लाये

जाने की आवश्यकता है– इस नीति के अंतर्गत शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिक, सामाजिक संस्थाएँ, विशेषज्ञों, माता–पिता, सामुदायिक सदस्यों का अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नवाचारों का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन सके जिसमें रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हों। इसके लिए जरूरी है कि उद्योग जगत शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े।इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को चाहिए कि विशेष महत्त्व के क्षेत्रों की पहचान कर उससे जुड़े डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधानों को वित्त मुहैया करवाएं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिष्ठित उद्योग संगठनों, मीडिया घरानों और पेशेवर निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग दे सकें। एक सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली से विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।भारतीय विश्वविद्यालय आज भी विश्व के 100 शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो सका है। इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को आत्मअवलोकन कर संबंधित मानकों में सुधार करना चाहिए।इसके अलावा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण की विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

3

नई शिक्षा नीतिः एक नई सोच का अवलोकन

वर्षा तोमर

कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान

शिक्षा का मतलब अर्थ है ज्ञान, यह ज्ञान हम सभी को ना सिर्फ संपूर्ण मानव बनाने में सहायक होता है बल्कि एक सभ्य समाज का निर्माण करने और मानव को उसका सही अर्थ बताने में पूरी तरह सक्षम होता है। शिक्षा एक ऐसा साधन होता है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। इस संदर्भ में भारत प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण देश रहा है तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता रहा है वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में जाना जाता है जहां लगभग 1.53 लाख विद्यालय, 864 से अधिक विश्वविद्यालय, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं है जिनमें लगभग 23 आई.आई.टी और 30 एन.आई.टी शामिल है। वहीं 300 मिलियन से अधिक छात्र भी इसमें शामिल है। इसके बावजूद अभी भी शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता में विस्तार की आवश्यकता है।

बच्चे देश का भविष्य ही नहीं अपितु नींव भी होते हैं और नीम जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी, इसी सोच के आधार पर नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। इस शिक्षा नीति की संरचना बेहद उत्साहवर्धक है जो एक प्रगतिशील समृद्ध, सृजनशील एवं नैतिक मूल्य से परिपूर्ण ऐसे नए भारत की कल्पना करता है जो अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाता है जिसे वर्तमान संसाधनों के साथ चरितार्थ करना निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। यह बात सही है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अधिक गति से परिवर्तित आज के वैश्विक परिदृश्य के अनुसार इसमे मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता चिर–प्रतिक्षित थी, जिसे पूरा देश अनुभव कर रहा था, क्योंकि वर्तमान शिक्षा नीति जो 1986 में लागू हुई थी और जिसे 1992 में संशोधित किया गया था वह हमारे बच्चों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाने में निरंतर सक्षम सिद्ध हो रही थी। नई शिक्षा नीति जिसे इसरो के सेवानिवृत्त अध्यक्ष डॉ. कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता मे ड्राफ्ट किया गया है। इनके अनुसार इसका मूलभूत लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करना है, और

एक न्याय संगत एवं निष्पक्ष समाज बनाने की एक निष्ठावान प्रयास करना है। प्रस्तावित शिक्षा नीति बालक के 'सीखने' पर बल देती है। वह उसे कैसे सीखते हैं इस पर विशेष बल देना चाहती है ताकि उस में आजीवन हर पल अपने आसपास घटित सामान्य से सामान्य घटनाओं से भी कुछ नया सीखने की क्षमता को विकसित किया जा सके। इसके अंतर्गत उनमें शिक्षा के द्वारा व्यवसायी योग्यता के साथ–साथ तर्क शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान का कौशल तथा सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल दिखाने को बढ़ावा देना है डिजिटल युग में पुस्तकों का अध्ययन करने का अभ्यास विकसित करने के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय पर विशेष ध्यान, 10़2 के स्थान पर 5़3़3़4 का प्रतिरूप ताकि अधिकतर परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सें। कोचिंग संस्थानों की संस्कृति या परंपरा को समाप्त किया जा सके। यही नहीं बच्चों को परीक्षा बोझ न लगे उसके लिए परिक्षा की घड़ी में उसके सामने जीवन मरण का प्रश्न बनकर नहीं बल्कि अपनी कमियां से सीखने का अवसर बनकर आए इसके लिए पाठ्यक्रम, अत्यधिक पाठ्यक्रम और यह–पाठ्यक्रम गतिविधि का भेद समाप्त करना, अकादमिक और व्यावसायिक का अंतर समाप्त करना अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त करना पुस्तकी ज्ञान से अधिक महत्व व्यवहारिक ज्ञान को देने पर बल दिया गया है। शुरू के वर्षों में हर बालक को बागवानी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, बिजली का काम, और माध्यमिक शिक्षा के हर बच्चे को किसी एक कला जैसे संगीत, नृत्य, काव्य, पेंटिंग, शिल्प कला, आदि का गहन अध्ययन चाहे वह विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग का ही विद्यार्थी क्यों ना हो ऐसे कदमों स उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की नींव रखने पर बल दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति भारत के सुनहरे भविष्य की ओर एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। लेकिन बिना योग्य शिक्षकों के इस शिक्षा नीति की सफलता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह भी लगा दिया गया है, क्योंकि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में सरकारी विद्यालयों में योग्य नहीं शिक्षक है और यही सबसे बड़ी कमी थी। नई शिक्षा नीति को भी इसका अनुभव है, इसलिए उसमें शिक्षकों की योग्यता बढ़ाना और उन्हें इस योग्य बनाना ताकि उन्हें हमारे समाज में एक बार फिर सम्मान और गौरवपूर्ण स्थान मिले इसके भी अनेक उपाय बताए गए हैं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं की शिक्षक का अधिकांश समय छात्रों के साथ ही व्यतीत हो और उनसे गैर शिक्षण कार्य कम से कम लिया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कदम उठाए भी हैं। नई शिक्षा नीति सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को इंगित करती है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने के कार्य पूर्व में होते रहे हैं लेकिन उपलब्धियां सराहनीय नहीं रही हैं। इस नीति के

अंतर्गत शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार, नागरिकों, माता–पिता, सामाजिक संस्थाएं, विशेषज्ञ सामुदायिक सदस्य को भी अपने स्तरों पर पूर्णरूप कार्य करना चाहिए।

शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच एक सहजीवी संबंध स्थापित किया जाना चाहिए जिसके कारण नवाचारों का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन सके जिसमें रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हो। इसके लिए जरूरी है कि उद्योग जगत शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े। इसके अतिरिक्त और प्रतिष्ठानों को चाहिए कि विशेष महत्व के क्षेत्रों की पहचान कर उससे जुड़े डॉक्टरेट और उत्तर डॉक्टरेट अनुसंधान को वित्त उपलब्ध कराएं। भारतीय विश्वविद्यालय आज भी विश्व के 100 सी. एस. रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो सका है। इस विषय में विश्वविद्यालय और शिक्षाविदों को आत्म अवलोकन कर संबंधित मानकों में सुधार करना चाहिए इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण की विधियों में भी सुधार किया जाना अति आवश्यक है। वर्तमान की नई शिक्षा नीति आने वाले भविष्य को कितना सुनहरा करती है यह सरकार और समाज दोनो के ही सहयोग पर निर्भर है जिसमें अहम् भूमिका उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षक और माता–पिता की है।

♦♦♦♦♦

4

भारत और शिक्षाः एक तुलनात्मक विकसित प्रारूप

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी भी देश का शैक्षिक प्रशासन बहुधा उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिर्देशित प्रयोजनों से संबद्ध होता है। ब्रिटिश शासन काल में भारत की शैक्षिक नीति एवं प्रशासन विदेशी सत्ता द्वारा संचालित होने के कारण यह राष्ट्रीय परंपराओं, संस्कृति तथा देशवासियों की आवश्यकताओं के अनुकूल न थी। 1986 के बाद पहली बार भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा नीति की शुरूआत की गई। 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और शिक्षा नीति के तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किए जाने पर केंद्रित किया गया। नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा थी। और अभी तक भारत की शिक्षा प्रणाली, कई समस्याओं और कमियों से त्रस्त रही है, जैसे भारी गिरावट दर, शिक्षकों की संख्या में कमी, अक्षम पाठ्यक्रम इत्यादि जो इसके मुख्य कारणों में देखे जा सकते है। ऐसे मुद्दां से निपटने के लिए, डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विकसित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 31 मई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा साझा किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के कुछ प्रमुख पहलू जो इस प्रकार देखे जा सकते है–

1. सबसे पहले, 2025 तक तीन से छह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए उच्च–गुणवत्ता की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाएगी।
2. यह विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के भीतर किया जाएगा, जो बच्चों की समग्र भलाई का ध्यान रखेगा, चाहे वह पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा हो।
3. प्रत्येक छात्र 2025 तक मौलिक साक्षरता प्राप्त कर लेगा, ताकि छात्रों को पढ़ने, लिखने और प्राथमिक गणित करने में सक्षम न होने के मुद्दे को संबोधित किया जा सके।
4. मसौदा भी विद्यालयों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को बदलने का प्रस्ताव है। पाठ्येतर और अतिरिक्त पाठयक्रम क्षेत्रों का पृथक्करण नहीं होगा, दोनों का महत्व

समान होगा। परीक्षा प्रणाली भी वास्तविक सीखने का आंकलन करने के लिए मौलिक रूप से परिवर्तित की जाएगी, उन्हें तनाव मुक्त बना देगी।

5. समिति ने 6 से 14 आयु वर्ग के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विस्तार की भी सिफारिश की है। सभी विद्यालयों को भी शिक्षकों के साथ पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जाएगा। कोई अस्थायी शिक्षकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. भारत के वर्तमान 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 से अधिक कॉलेजों को लगभग 10–15,000 संस्थानों में समेकित किया जाएगा। मौजूदा तीन साल के कार्यक्रमों के अलावा चार साल का स्नातक कार्यक्रम भी उपलब्ध होगा। विश्वविद्यालय संबद्धता की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
7. स्कूली शिक्षा के 10 + 2 ढ़ाचे के साथ दूर करने वाले प्रारूप और इसे विश्व स्तर पर स्वीकृत 5 + 3 + 3 + 4 प्रारूप के साथ, जिसको –12 प्रारूप भी कहा जाता है।
8. छात्र किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी भाषाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा।

इस प्रकार के प्रस्तावित विचार अभी प्रगतिशील हैं, लेकिन वित्त पोषण की आवश्यकताओं और शासन वास्तुकला से संबंधित उनके कार्यान्वयन में बाधाएं हो सकती हैं।

तुलनात्मक अध्ययन–

नई सरकार के तहत शिक्षा के लिए 100 दिन की कार्ययोजना पर मोहर लग गई है जिसमें नई शिक्षा नीति, पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नई एक्रीडशन प्रणाली, इत्यादि को शामिल किया गया है। हर सरकार, हर मंत्री बदलने के साथ शिक्षा के नियमों में भी बदलाव होता रहा है। जैसे यूपीए कार्यकाल में नियम बना कि आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2014 में भाजपा सरकार आई तो उसने इस नीति को रिव्यू किया और इसे राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया। कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी ने छात्रों को फेल करने और न करने के नियम अपने–अपने हिसाब से बना लिए। लेकिन अब यही भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति के प्रारूप में कह रही है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। राइट टु एजुकेशन फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अमरीश राय बताते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें ब्यूरोक्रेट के दबाव में नियम बदलती रहती हैं। अब तक सिर्फ दो बार शिक्षा नीति लागू हुई है। 1968, 1992 में यानी अब जो शिक्षा नीति आ रही है वो तकनीकि तौर पर तीसरी शिक्षा नोति होगी।

बार–बार परिवर्तन की बात शिक्षकों की भर्ती पर भी ऐसे ही लागू होती है। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के समय गुरुजी और संविदा शिक्षक भर्ती किए गए ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीनों में गुरुजी और संविदा शिक्षकों का संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया अर्थात् फिर से पहले जैसी स्थिति हो गई।

इसे अन्य दृष्टांत से भी समझा जा सकता है–

1. 2009 में विद्यालयों की परिभाषा बनी अब सीखने पर ध्यान की बात– 2009 में यूपीए सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून में विद्यालय की परिभाषा लिखी। इसमें इमारत की सीमा, स्त्री–पुरूष शौचालय और प्राथमिक स्तर पर बच्चों और अध्यापको के अनुपात की बात शामिल थी। ये बातें जहां होंगी उसे विद्यालय माना जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार की नई प्रस्तावित शिक्षा नीति में इसे समाप्त कर सिर्फ सीखने पर ध्यान देने की बात कही गई है। अर्थात् विद्यालयों को आरटीई के आधारभूत ढांचे पर केंद्रित करने की अलावा केवल पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही गई है।
2. पूर्व प्राथमिक केजी द्वितिय के स्थान पर द्वितिय कक्षा तक मानी जाएगी– पूर्व प्राथमिक प्रथम कक्षा से पहले तक मानी जाती ह लेकिन नई शिक्षा नीति के प्रारूप में यह द्वितिय कक्षा तक मानी जाएगी। अभी प्राथमिक कक्षा 5 तक मानी जाती है लेकिन कर्नाटक में प्राथमिक कक्षा चार तक मानी जाती है।
3. सर्व शिक्षा अभियान आरटीई में समाया–अटल बिहारी बाजपेयी सरकार ने यू.एन के कार्यक्रम 'एजुकेशन फॉर ऑल' के तहत पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। जबकि यूपीए सरकार ने आरटीई कानून को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के पूरे ढांचे को आरटीई में बदल दिया।

बार–बार बदलते हुए नियम–

1. पहले हर डेढ़ कि.मी. पर विद्यालय फिर विद्यालयों को जोड़ा गया।
2. अटल सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार हर डेढ़ कि.मी. में विद्यालय खोलने का नियम बनाया था। इसके बाद यूपीए सरकार आरटीई कानून लेकर आई, जिसके तहत विद्यालय की परिभाषा तय की गई। निश्चित नियमों को पूरा करने के लिए कई राज्यों ने कई

छोटे–छोटे विद्यालयों को जोड़ दिया। क्योंकि ये आरटीई नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे। नई नीति में फिर स्कूलों के एकीकरण पर जोर है।

3. प्रयोग के तौर पर बंद हो चुके चार साल में ग्रेजुएशन की वापसी।
4. लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को यूपीए–2 ने प्रयोग के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया था। लेकिन इसका विरोध हुआ कि जो छात्र 3 साल डिग्री के बाद नौकरी कर सकता है, उसे एक साल और क्यों रोका जाए। इसके बाद यूपीए सरकार ने ये प्रारूप समाप्त कर दिया। लेकिन अब यही प्रारूप मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के मसौदे म ला रही है।
5. यूपी में भाजपा ने नौवीं में बोर्ड बनाया जिसे माया सरकार ने खत्म किया–1999 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने दसवीं के साथ ही नौंवी में बोर्ड परीक्षा बनाया था। जबकि 2002 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं तब ये नियम खत्म कर दिया। यूपी मे ही मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकाल में नकल अध्यादेश लेकर कभी नहीं आए। वहीं भाजपा सरकार ने हमेशा नकल अध्यादेश बोर्ड परीक्षा के दौरान लाया गया।
6. नकल और परीक्षा पर ही छह बार बदले नियम–उप्र में 1991् में कल्याण सिंह सरकार एंटी कॉपिंग एक्ट–1992 लेकर आई। नकल गैर–जमानती अपराध बना। 1993 की सपा सरकार ने इसे खत्म कर दिया। 1997 में फिर भाजपा सत्ता में आई और नकल अधिनियम लागू हो गया। 2003 में मुलायम सीएम बने तो फिर स्वकेंद्र परीक्षा लागू की गई। 2007 में मायावती सरकार ने छात्रों के लिए स्वकेंद्र खत्म कर दिए। अब योगी सरकार ने एंटी कॉपिंग एक्ट फिर से लागू किया।

निष्कर्षतः अभी तक दि गई रिर्पोट के अनुसार शिक्षा में होने वाले बड़े परिवर्तन में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद को किस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है यह तो भविष्य ही दर्शा पाएगा। परंतु दिए गए प्रस्ताव सकारात्मक प्रारूप को दर्शाते है।

♦♦♦♦♦

5

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : विद्यालयी शिक्षा

निशा कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

'सम्पूर्ण देश में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई जाये जो देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो'। ....एनीबेसेंट

औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त से ही भारत शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। राज्य द्वारा ऐसे अनेक कदम उठाये गये जिससे राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार एक समावेशी तथा समतामूलक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया जन्म से ही आरम्भ हो जाती है। अपितु इसमें कोई दो राय नही कि इसमें परिवार के बाद विद्यालय द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। विद्यालय से बच्चे के लिए अधिगम तथा समाजीकरण का मुख्य पड़ाव आरंभ होता है। सीखने का यह चरण संज्ञानात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योकि एक बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 85 प्रतिशत विकास मात्र 6 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। इस लिए एक सशक्त आधारशिला का निर्माण करने हेतु भारत की अब तक निर्मित सभी शिक्षा नीतियों में विद्यालयी शिक्षा पर विशेष उपबंध किये गये। इस सम्बन्ध में स्वतंत्र भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था जिसे 1992 में संशोधित किया गया था।

विद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग–1 उल्लेखित कुल आठ अध्याय विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी पूरी व्यवस्था का वर्णन करते हैं। यह शिक्षा नीति बालक के सर्वांगीण विकास और 'लर्निंग दि ट्रेजर विदिन' के रूप में शिक्षा के उद्देश को परिभाषित करती है जिसका अर्थ होता है कि किसी बच्चे की जीवन भर की शिक्षा जीवन के चार स्तंभों पर आधारित होती है। पहला, जानने के लिए सीखना (लर्निंग टू नो) ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह जानकारी

प्राप्त करना कि कैसे सीखा जाये तथा जिसके अंतर्गत जीवन भर मिलने वाली शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। दूसरा, करने के लिए सीखना (लर्निंग टू डू) इसका अर्थ जहां बच्चे को जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान निकालने के सक्षम बनाना वही प्रत्येक बच्चे को एक व्यावसायिक कौशल में निपुणता प्रदान करना है। तीसरा, साथ रहने के लिए सीखना (लर्निंग टू लिव) इसका अर्थ है कि शिक्षा के द्वारा बालक में ऐसे गुणों का विकास करना जिससे उसमे समावेशी, समतामूलक तथा बहुलतावाद के प्रति सम्मान का विकास हो तथा वह समाज में सभी लोगों की परस्पर निभरता को समझे तथा उसका सम्मान करे। चौथा, होने के लिए सीखना (लर्निंग टू बी) यह शिक्षा को व्यापक रूप से देखते हुए ऐसे व्यक्तित्व के विकास पर बल देती है जो दूसरों के व्यक्तित्व को विकसित करने तथा स्वायत्ता, निर्णय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ काम करने में सक्षम हो। 1986 तथा 1992 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद भी वर्तमान विद्यालयी शिक्षा प्रणाली अनेकों चुनौतियों का सामना कर रही है जिनमें शिक्षा गुणवत्ता को बनाये रखने की समस्या, समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा तक आवश्यक पहुँच का न होना तथा शिक्षा पूर्ण करने के पूर्व बालिका तथा विशेषकर बालिकाओं का विद्यालय से उच्च दर से ड्रॉप आउट, जिसमे बालिकाओं का बहुत बड़ा हिस्सा पांचवी कक्षा तथा आठवी कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ देती हैं। इस लेख में नई शिक्षा नीति में लाये गये दो मुख्य परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है।

1. शिक्षा के अधिकार का विस्तार : नई शिक्षा नीति ने सभी की शिक्षा तथा विद्यालय तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को पहले से अधिक विस्तारित किया है। ताकि 2030 तक सभी बच्चां को कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा में लाया जा सके। इस प्रकार इसमें 14–18 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सकेगी जो अबतक सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चे को ही प्राप्त होती थी।
2. 5.3.3.4 के नए ढांचे में विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना : 21वी. सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में वर्णित 10.2 व्यवस्था में परिवर्तन को प्रस्तावित किया है तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने की विभिन्न आयु वर्ग को आधार बनाया गया है। इस परिवर्तन के पीछे तर्क दिया गया है कि बच्चों का विकास उनकी आयु की भिन्न–भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जैसे आयु वर्ग 3–8, 8–11, 11–14, 14–18 तथा इनमे उनकी आवश्यकताएं तथा रूचियां भी भिन्न भिन्न होती है।

3. प्रारंभिक 5 वर्ष की बुनियादी अवस्था (3 वर्ष प्री–प्राइमरी तथा कक्षा 1, 2) : इस अवस्था में म्ब्ब् (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) के आधार पर तीन वर्ष के पहले तक के बच्चे तथा माँ के उचित पोषण तथा स्वास्थ्य पर ध्यान देना शामिल है। साथ ही व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेल आधारित विधि के माध्यम से बच्चों में निहित जन्मजात क्षमताओं, टीम भावना को विकसित करने तथा सहयोग से साथ काम करने के गुणों का विकास करने के अतिरिक्त अक्षरों, संख्या, रंग, भाषा, नाटक इत्यादि से परिचित कराना महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।
4. तीन वर्षों की प्राथमिक अवस्था (कक्षा 3, 4 तथा 5) : इस अवस्था से पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया जायेगा तथा गतिविधि आधारित, खेल आधारित तथा स्वयं खोज शिक्षा विधि से बच्चों में सभी विषयों के आधारभूत तथा एकीकृत ज्ञान का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है।
5. तीन वर्षों की माध्यमिक अवस्था (कक्षा 6, 7 तथा 8) : इसमें पूर्व अवस्था की तुलना में अधिक औपचारिक शिक्षण की विधि के माध्यम से विषय सम्बन्धी एक गहरी तथा व्यापक समझ का निर्माण करना जिसमे बच्चे सभी विषयों के मध्य जुड़ाव को समझे तथा स्वयं से खोजने के गुणों को विकसित करना महत्वपूर्ण है।
6. चार वर्ष की उच्च अवस्था (कक्षा 9, 10, 11, 12) : यह अवस्था बहु–अनुशासनिक अध्ययन पर केन्द्रित होगी जिसमे बच्च्वे को जीवन अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विकल्पों के चुनाव का अवसर प्राप्त कराया जाएगा। इसमें प्रत्येक वर्ष को 2 सेमेस्टर में विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार कुल चार वर्षों को आठ सेमेस्टर में बांटा जायेगा। एक मोडयूलर बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो विद्यार्थियों की केवल तार्किक चिंतन की क्षमताओं, केन्द्रीय संकल्पनाओं और सिद्धांतों की समझ तथा प्रत्येक विषय में उच्च कौशल के स्तर का आकलन कर सकें।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा की सभी अवस्थाओं में भारतीय तथा स्थानीय परम्पराओं को आधार के रूप में प्रयोग किया जाये तथा विद्यार्थियों में नैतिक चिंतन, सामाजिक–भावनात्मक सीख, वैज्ञानिक चिंतन, डिजिटल साक्षरता का विकास किया जाये। भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर पुनः ध्यान देना इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत ही आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथा दूरदर्शी परिवर्तन प्रतीत होता है।

♦♦♦♦♦

6

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा हेतु सुझावों का आलोचनात्मक विश्लेषण

डिंपल कुमारी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

हाल ही में प्रस्तुत शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप सभी मायनों में बहुआयामी होने के साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों एवं उनसे जुड़े पहलुओं पर केंद्रित विस्तृत दस्तावेज है। यह प्रारूप बदलते आधुनिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को शिक्षा के उद्देश्यों के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। समकालीन भारत में न केवल शिक्षा की भूमिका बदल रही है, बल्कि उसमें जटिलताओं का भी समावेश होता जा रहा है। जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारण स्वयं आधुनिक समय में बढ़ती हुई जटिलताएँ हैं। इन जटिलताओं में भारतीय समाज का लैंगिक ढांचा भी शामिल है, जो अब दो लिंगो स्त्री एवं पुरूष तक ही सीमित नहीं रह गया है।

2014 में भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने दो लिंगो के साथ ही समाज में तीसरे लिंग की पहचान (जो हिजड़ा, किन्नर, अरवनी, कोठी जैसे क्षेत्रीय नामों से भी जाने जाते हैं) को कानूनी रूप से मान्य करते हुए ट्रांसजेंडर समूह को समाज में उनकी पहचान को सुनिश्चित एवं उनके कल्याण हेतु सरकारी तंत्र को दिशा–निर्देश प्रदान किए गए हैं। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय क लोग वर्षों से अपनी अलग लैंगिक पहचान (जो स्त्री एवं पुरूष से अलग है) के कारण समाज में हाशिए एवं विभेदन का सामना हर स्तर पर करते रहे हैं, चाहे वह क्षेत्र राजनीतिक, परिवारिक, आर्थिक या शिक्षा का ही क्यों न हो। इसके कारण इस पहचान से जुड़ा बड़ा भाग निरक्षर एवं मुख्यधारा से कटा हाने के कारण भिक्षावृति, सेक्स कार्य, और दूसरे अनचाहे कामों को करने के लिए विवश है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की अधिकांशतः जनसंख्या एड्स जैसी जानलेवा से भी ग्रस्त है, जो समाज से उनके अलगाव को और विकराल रूप देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है।

अधिकतर ट्रांसजेंडर बच्चों एवं किशोरों/किशोरियों के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय के वर्ष उत्पीड़न, अवसाद, शर्मिंदगी, और असुरक्षा के बीच गुजरते है, जिसके चलते अधिकतर ट्रांस–विद्यार्थी बीच में ही अपनो पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते है। इन परिस्थितियों के लिए समाज का नकारात्मक व्यवहार एवं वर्षो से इनके प्रति शिक्षा–व्यवस्था की बड़ी अनदेखी भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय की इसी शोषित स्थिति और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप का निर्माण किया गया है, जिसमें इस समुदाय की शिक्षा की चुनौतियों का गंभीरता से लिया गया है। इस शिक्षा नीति के प्रारूप का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति प्रयोजनवादी होने के साथ ही समतामूलक भी है, जो शिक्षा के परिदृश्य में समानता और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर संरचित है। साथ ही अन्य पिछली शिक्षा नीतियों से वर्तमान की नीतियां अधिक प्रगतिशील नजर आती है क्योंकि भारत में यह पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा का औपचारिक भाग माना गया। जबकि इससे पहले की सभी शिक्षा नीतियां ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था पर मौन रही है– जैसे ये क्षेत्र समाज में उपस्थित ही नहीं। जिनकी शिक्षा पर विचार किया जाए। लेकिन ये 2014 में आए फैसले का ही परिणाम रहा जिसने एक शुरुआत इस समुदाय के लिए की। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा हेतु सुझावः

1. ट्रांसजेंडर बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करना, यह इस क्षेत्र में काम करने की पहली शर्त भी है, जिसको इस नीति द्वारा भी आवश्यक माना गया। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस की आवश्यकता बनी हुई है, जिससे इनके बारे में सही तथ्यों एवं जरूरी जानकारियों के आधार पर ठोस योजना का निर्माण किया जा सके।
2. ट्रांसजेंडर बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में आवश्यक बदलाव किए जायंगे, जिसमें माता–पिता एवं नागरिक समाज की भागीदारी और सुझाव को अहम माना गया।
3. इस प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों का समावेशन पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यकम में शामिल करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। जिसका लक्ष्य ट्रांस–बच्चों को सीखने में सहायता देना है, इसके साथ इस प्रयोजन द्वारा न केवल ट्रांस–बच्चों को सीखने में सहायता

मिलेगी बल्कि उनके सहपाठी भी लैंगिकता की जटिलता से परिचित होते हुए, इनके प्रति जागरूक हो पायेंगे।

4. ट्रांसजेंडर बच्चों की बेहतर विद्यालय शिक्षा में अध्यापकों की भूमिका को समझते हुए और अध्यापकों में इनके प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु योजना का भी सुझाव इस नीति में रखा गया है। जो इस समुदाय के लिए बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जरूरी भी।
5. केंद्र के साथ राज्य के शिक्षा–निदेशालयों एवं NCPCR/ SCPCR की भूमिका को ट्रांस–बच्चों को गुणवंत शिक्षा देने में आवश्यक माना गया है।

इन मुख्य बिन्दुओं का इस नीति में रखा गया है, जो ट्रांस–जेंडर बच्चों की विद्यालय शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। परंतु कुछ विशेष मुद्दे इस नीति को ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेश शिक्षा के लक्ष्य को सीमित एवं अस्पष्ट बनाते है। इस प्रारूप में केवल टांसजेंडर बच्चों की स्कूली शिक्षा में भागीदार एवं पहुँच के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए है।

इस प्रारूप में उन ट्रांस–लोगों की शिक्षा के बारे में कोई सुझाव नहीं नजर आते, जो शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रति होने वाली उपेक्षा, भेदभाव एवं अपमान, असुरक्षा के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए या वे जो साक्षर नहीं है। ऐसे लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने की योजना का अभाव यहाँ नजर आता है। शिक्षा के दूसरे स्तरों, योजनाओं और मौजूदा चल रही स्कीमों से इन ट्रांसजेंडर वर्ग एवं उनसे जुड़ी शब्दावली को भी समावेशित किए जाने की जरूरत है, जिससे इनको अधिक से अधिक बेहतर शिक्षा, विकल्प और जीविका के अवसर प्राप्त हो पाए, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च–शिक्षा क्योंकि इस समुदाय में ऐसे अधिक लोग भी है– जो अपनी विद्यालयी शिक्षा तो पूरी कर चुके है, परंतु आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी आगे नही जा पाते। अधिकांश ट्रांसजेंडर बच्चे एवं किशोर अपने परिवारों से निकले गए होते है। जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिससे वह शिक्षा से पहले काम को प्राथमिकता देते हुए छोटे–मोटे कार्यो, बधाई या दूसरे ऐसे कार्यों में लग जाते हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते है।

ऐसी दशा में उनकी स्थिति वहीं की वहीं रहती है। इसके लिए ऐसी योजना की आवश्यकता है जो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखकर इनके लिए सुझावित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। जिससे विद्यालयों में भागीदारी बढ़ाने के साथ ही विद्यालय के बाद या विद्यालय बीच में छोड़ने

के बाद भी इस समुदाय को बेहतर शैक्षिक अवसर एवं विकल्प प्राप्त हो पाए जिसके द्वारा इनके बेहतर भविष्य की संभावना एवं सशक्तिकरण में वृद्धि की जा सके। इसके साथ ही RTE, 2009 के एक्ट एवं अन्य आवश्यक योजनाओं में ट्रांसजेंडर बच्चों एवं पहचानों की परिभाषा, उनके प्रवेश की प्रक्रियाओं, आवश्यक दस्तावेजों की सूची जैसे बिन्दुओं का स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। शिक्षकों के साथ–साथ उन शैक्षिक संस्थानों के प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ट्रांसजेंडर पहचानों के मुद्दों और उनके लिए बने नियम की सूचना दी जाए। जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक सुगमता का वातावरण ट्रांसजेंडरों हेतु शिक्षा संस्थानों में निर्मित हो पाए। छात्रवृति, सुरक्षित वातावरण एवं मार्गदर्शन और परामर्श शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके लिए सुनिश्चित करने चाहिए जो इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सहायता कर पाए, क्योंकि इनके अभाव में ही यह समुदाय अभी तक शिक्षा से वंचित खड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा के सुझावों को उपरोक्त मुद्दों को केंद्र में रखते हुए उन्हे व्यापक करने की आवश्यकता दृष्टिगोचर प्रतीत होती है, जिससे इस समुदाय की बेहतर शिक्षा के वादे के लिए ठोस एवं व्यावहारिक योजनाओं का निर्माण हो सके जो उनके सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दे पाए।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281